न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

राजस्व अपील संख्या 11/2022

1 रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 56 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, (राज)
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 54 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, (राज)
3. शिवप्रसाद पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 46 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, (राज)
4. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री मागीलाल उम्र 45 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, (राज)
5. श्रवणलाल पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज)

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1 जुगलकिशोर पुत्र स्व0 श्री बालकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी सरवाडी गेट, किशनगढ जिला अजमेर (राज)
2 गोपीकिशन पुत्र स्व0 श्री बालकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी सरवाडी गेट, किशनगढ जिला अजमेर (राज)
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ ..... **रेस्पोन्डेन्ट्स**
4. कैलाश चन्द पुत्र श्री भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी बैक ऑफ बडौदा के पास, अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर (राज)
5. श्रीमति गौमती पत्नि श्री कैलाश चन्द जाति अग्रवाल निवासी बैंक ऑफ बडौदा के पास, अजमेर रोड मदनगंज किानगढ, जिला अजमेर (राज)
6. मैसर्स लवली कॉलोनाईजर्स प्रा0 लि0 किशनगढ, जिला अजमेर (राज) जरिये निदेशक प्रदीप कुमार चौधरी पुत्र श्री मूलचन्द चौधरी निवासी हमीर कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर (राज)
7. मैसर्स अर्पिता बिल्डर्स प्रा0 लि0 जयपुर जरिये निदेशक दिनेश पाटनी पुत्र श्री छीतरमल पाटनी निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर (राज)

.....**प्रफोर्मा रेस्पोन्डेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1 श्री जय प्रकाश शर्मा — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विक्रम प्रताप पुरोहीत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 2
3. श्री सुमित जैन — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 से 7
4. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

...ी का नाम एवं पता ... | ...स्तुति हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

आदेश

दिनांक – 22.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा ग्राम फरासिया, पटवार हल्का फरासिया तहसील किशनगढ के नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को निरस्त करने बाबत पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

अपील **subject to limitation** दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो.सं0 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोन्डेन्ट नंबर 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पो.सं0 4 से 7 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते धारा–5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष के निवेदन पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांन्ट नें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तकरण, नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को निरस्त करने बाबत पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 अपीलार्थीगण के दादा को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तथा प्रकरण को दर्ज किये बगैर पारित आदेश है जो प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रावधानो के विपरित है। अपील में वर्णित कृषि भूमि श्री बालकृष्ण दास की खातेदारी की भूमि होने बाबत न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के द्वारा दिनांक 07.10.2010 को निर्णय पारित करने, उक्त निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2014 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2018 में बहाल रखा गया था। ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि जिसके एकीकरण से पूर्व के खसरा संख्या 515, 516, 528 मिन, 529, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548 व 552 मिन रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता बालकृष्ण दास के द्वारा राशि रूपये 92/– में अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के दादा श्री घीसा पुत्र श्री नानगराम जाति मीणा निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। उक्त भूमि बेचान के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के दादा श्री घीसा पुत्र श्री नानगराम जाति मीणा निवासी फरासिया के नाम भरकर खोला गया था। अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के दादा श्री घीसा पुत्र नानगराम उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। इस प्रकार उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के दादा श्री घीसा पुत्र श्री नानगराम के द्वारा खरीद शुदा होकर कब्जे काश्त अधिकार की भूमि थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के दादा श्री घीसा पुत्र श्री नानगराम के नाम खोले जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा उक्त नामान्तकरण, नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को दिनांक 23.08.1967 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया कि खाता संख्या 90 का अवलोकन किया, इस नामान्तकरण में वर्णित खसरा नम्बर श्री जुगल किशोर जी महाराज की मूर्ति के नाम दर्ज है और श्री बालकृष्ण बहेसियत पुजारी है, अतः इन्हे बेचने का कोई अधिकार नही है क्योंकि खातेदारी इनके नाम दर्ज नही है कीमत भी कम है। अतः कैन्सिल किया जावे और जमाबंदी सम्वत् 2023 में नहीं लिया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तकरण, नामान्तकरण

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को निरस्त करने बाबत पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के उक्त निर्णय के बाद अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा खोले गये नामान्तकरण, राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त के बाद अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी 3 के द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को निरस्त करने बाबत प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी होने के बाद कोविड 19 की गम्भीर बीमारी आ गई थी। इस कारण अभिभाषक से विधिक सलाह लेकर अपीलार्थीगण पूर्व में प्रश्नगत अपील पेश नहीं कर सके थे। पूर्व में प्रश्नगत अपील पेश नहीं करने का उक्त कारण सदभाविक व विधिक कारण है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रश्नगत नामान्तकरण पर पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त की गई है। अपीलार्थीगण की ओर से पूर्व में अपील पेश करने में देरी कारित हुई है उक्त को क्षमा किये जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। इस कारण अपील पेश करने में जो देरी कारित हुई है उक्त को क्षमा किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत अपील अचल सम्पत्ति सम्बन्धित है जिसमें प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का हक हिस्सा अधिकार निहित है। इस कारण प्रश्नगत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करावे। वकील अपीलान्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1998 पेज 319 से 324, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का RLW 2002 RJ 299 (HC) State of Rajasthan Vs. Shyo Chand & Ors. (Keshote, J.), 2008 SAR (Civil) 789 Supreme Court Page 789-797, 2012 2 RLW (RJ) 1026 State of Rajasthan & Ors. Vs Aanjaney Organic Herbal Pvt. Ltd. एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण के दादाजी स्वयं ने खातेदारी बाबत वर्ष 1972 में वाद प्रस्तुत किया था जो गलत है। अपीलार्थीगण ने कोविड का जो कथन किया है वह काल्पनिक है गलत है, अस्वीकार है। अपीलार्थीगण ने उक्त अपील लगभग 53 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो कानून मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अनुसरण में बताये गये कारण सदभाविक नहीं है। अपीलार्थीगण का प्रश्नगत सम्पति पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण स्वयं प्रश्नगत सम्पत्ति बाबत न केवल राजस्व अधिकारी, अजमेर, राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर एवं अन्तिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हक व अधिकारो के सन्दर्भ में वाद एवं अपीले निस्तारित करवा चुका है। उपरोक्त सभी न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किये हुए है। अतः इस परिपेक्ष में भी अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण को उपरोक्त प्रकार की समस्त विधिक प्रकियाओं एवं तथ्यों की भली भॉति जानकारी होने के बावजूद गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में चलने योग्य नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जावे तद्नुसार अपील भी खारिज फरमावे ।

रेस्पोडेन्ट 4 व 7 के अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पूर्व में तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा पुत्र नानगराम

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

मीणा द्वारा एक नियमित वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा को भली भाति थी। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.10.2010 से उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.11.2018 तक बहाल रहा किन्तु यह कथन स्वीकार्य नही है कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं रही हो। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 के लगभग 55 वर्ष उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी है वह भारी मियाद होने से मियाद के बिंदु पर ही निरस्तनीय है। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णित हो चुके है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं माना है। इस कारण भी मियाद प्रार्थना पत्र के साथ साथ प्रकरण गुणावगुण रहित होने से इसी स्तर पर काबिल निरस्तनीय है। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है जिस कारण उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की उद्‌घोषणा बाबत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा पुत्र नानगराम को उपकृषक घोषित किये जाने का प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा द्वारा बिना प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वज जुगल किशोर पर सम्मन तामील कराये किसी अन्य व्यक्ति को जुगल किशोर दर्शाकर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ को गुमराह कर अवैध रूप से डिक्री दिनांक 19.05.1972 प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी का उपकृषक दर्ज कर दिया गया अर्थात अपीलार्थीगण को तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी नहीं होना असंभव है। वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की। अतः अपीलांटगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपीलांटगण की अपील खारिज फरमावे ।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण ने नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 23.08.1967 के विरूद्ध जो अपील पेश की गयी है वह मियाद बाहर है तथा कालान्तर में इस मुददे को बिना उठाये अपीलार्थीगण ने अपने सभी विधिक अधिकार हेतु विभिन्न राजस्व न्यायालयों/अपीलीय न्यायालयों में वाद एवं अपील प्रस्तुत करके सभी अपने विधिक अधिकारो का उपयोग करके अपने खातेदारी अधिकार के सन्दर्भ में निर्णय करवा चुके है। जिसके क्रम में अपीलार्थीगण के पूर्वज ने वर्ष 1972 में एक राजस्व वाद वास्ते खातेदारी अधिकार हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 98/70 जिसका दिनांक 19.05.1972 को निर्णित किया गया तदुपरान्त कालान्तर में अपीलार्थीगणो ने लगभग 38 वर्ष बाद उक्त आदेश दिनांक 19.05.72 के विरूद्ध वर्ष 2010 में अपील संख्या 187/2010/223 राजस्व अपील अधिकारी ने अपना निर्णय एवं डिक्री 07.10.2010 को निर्णित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिये जाने की डिक्री प्रदान की तद्उपरान्त अपीलार्थीगणो ने उक्त आदेश दिनांक 07.10.2010 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के यहा एक अपील प्रस्तुत की जिसका निस्तारण दिनांक 07.08.2012 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निस्तारित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के निर्णय

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर

को यथावत रखते हुए अपीलार्थीगणो की खातेदारी अधिकार देने से इन्कार किया तथा अपीलार्थीगणो की अपील अस्वीकार करके खारिज की इसके बाद अपीलार्थीगणो ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 07.08.2012 के विरूद्ध एक रिट पीटीशन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर खण्ड पीट के यहा के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निस्तारण भी माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.8.2014 को निस्तारित करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर एवं राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के आदेशो को यथावत रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दिये गये खातेदारी अधिकार एवं डिक्री को यथावत रखते हुए आदेश पारित किये। इसके बाद अपीलार्थीगणो ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 8.8.2014 के विरूद्ध एक अन्य रिट पीटीशन खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत की उसे भी खण्ड पीठ ने आदेश पारित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 07.10.2010 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 07.08.2012 को यथावत रखते हुए एकल पीठ के आदेश को यथावत रखते हुए खण्ड पीठ ने अपीलार्थीगणो की अपील खारिज कर दी। तद्उपरान्त अपीलार्थीगणो ने उपरोक्त सभी आदेशो को प्रश्नगत रखते हुए अन्तिम रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.11.2018 को एडमीशन के स्तर पर ही सुनवाई करते हुए खारिज फरमा दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगणो ने अपने खातेदारी बाबत सभी विधिक अधिकारो का उपयोग विभिन्न न्यायालयों मे कर चुके है। अपीलार्थी ने 23.08.1967 के आदेश की जानकारी के सन्दर्भ में कोविड 19 की गंभीर बीमारी का जो कारण बताया है वो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगणो ने इसके पूर्व भी विभिन्न राजस्व न्यायालयो में अपीलाधीन आराजी के सन्दर्भ में कार्यवाही की है अतः इनका यह सदभाविक कारण नहीं है तथा 55 वर्ष बाद 25.3.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना सद्भाविक नही लगता। विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अपीलार्थीगणो के द्वारा विधिक कार्यवाही अमल में लाने के कारण इनका यह माना जाना कि अपील देरी से पेश करने का कारण सद्भाविक नही लगता। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अपीलांटगण इसी स्तर पर खारिज फरमावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा यह अपील तहसीलदार किशनगढ द्वारा ग्राम फरासिया, पटवार हल्का फरासिया तहसील किशनगढ के नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 27.05.1963 को निरस्त करने बाबत पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा पुत्र नानगराम मीणा द्वारा एक नियमित वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा को रही हैं। साथ ही दिनांक 07.10.2010 को राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.11.2018 तक बहाल रहा। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 के लगभग 55 वर्ष उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णित हो चुके है। अपीलांट यह सिद्ध नहीं कर पाए कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी उनको नहीं रही हो। तहसीलदार किशनगढ द्वारा

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है जिस कारण उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की उद्घोषणा बाबत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीगण के पूर्वज घीसा पुत्र नानगराम को उपकृषक घोषित किये जाने का प्रस्तुत किया गया था। जिससे तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.1967 की जानकारी अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वजो को होना स्वाभाविक हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण स्वयं प्रश्नगत सम्पत्ति बाबत न केवल राजस्व अधिकारी, अजमेर, राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर एवं अन्तिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हक व अधिकारो के सन्दर्भ में वाद एवं अपीले निस्तारित करवा चुका है। उपरोक्त सभी न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किये हुए है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण के 55 वर्ष के विलम्ब के लिये कोई उचित व ठोस कारण प्रदर्शित नही किया है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में भी अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार मूल अपील के साथ संलग्न धारा–5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर